168/2012 बनवारी - इत्यादि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.4.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दफा-5 अवधि अधिनियम हेतु पेश - विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट के वकील ने अपीलान्ट को यह कह दिया कि आपको प्रत्येक पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो आपको सूचना कर बुला लिया जावेगा । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का कृषक है जिसने अपने वकील की बात पर विश्वास कर उनके बुलाने के इंतजार मे ही रहा । दिनांक 10-6-2012 को अपीलान्ट संख्या-1 बनवारी किसी काम से श्रीमाधोपुर गया और अपने वकील साहब से अपने मुकदमें के बारे में भी जानकारी स्वरूप मिलने गया तब प्रकरण के बारे में पूछने पर वकील साहब ने बताया कि आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 12-12-2011 को ही खारिज किया जा चुका है। इसके बाद प्रार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 11-6-2012 को नकल निर्णय हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल मिलने पर यह अपील अपीलान्ट ने जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । माननीय न्यायालय को न्यायहित में प्रकरण का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा-5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अपीलान्ट का है। अपीलान्ट को अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहना चाहिये यह कह देना कि हमारे वकील साहब ने मना कर दिया इस कारण प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर नहीं है विलम्ब का उचित कारण नहीं है। जैसा डीएनजे 2017(3)(राज0) पेज ~~1054~~ 1054 में स्पष्ट किया गया है। अपीलान्ट को विलम्ब का एक एक दिन का स्पष्ट कारण बताना होगा ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया केवल यह कह देने मात्र से इतना विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता ।अपीलान्ट बिना वजह हमे परेशान करना चाहता है।अपीलान्ट का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।अपीलान्ट केवल हमे परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो मियाद बाहर है। खारिज किया जावे बहस के समर्थन में कानूनी नजीर डीएनजे 2012(1) राज0 पेज 264, आरआरटी 2010(2) पेज 801, आर आरटी 2017(1) पेज 711 एवं 117 पेश कर अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का कथन किया।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में प्रार्थीगण/ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी दिनांक 27-3-2001 को पेश किया। यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की ओर से जबाब दिनांक 18-1-2002 को पेश करने के बाद बहस में आ गया अर्थात अदालत मातहत में यह प्रपर्थना पत्र लगभग 10 वर्ष तक बहस में ही चलता रहा अपीलान्ट ने इतने लम्बे समय तक बहस की कोई चाराजोही नहीं की तथा अदालत मातहत द्वारा निर्णय किये जाने के बाद भी यह अपील 7 माह बाद पेश की है जिसमें विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया जिससे की अपीलान्ट को किसी प्रकार का लाभ दिया जा सके। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरो से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अपने कृवववों कृतव्यों के प्रति सजग रहना चाहिये केवल यह कह देना कि उनके वकील ने उन्हे प्रत्येक पेशी पर आने के लिये मना कर रखा था ।विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट का प्रा0 पत्र दफा-5 अवधि अधिनियम खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है ।पत्रावली नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया ।